तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
8/11/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थीगण का जवाब लिया और तहरीर जारी है। मिसल वास्ते पेश करने जवाब अप्रार्थीगण हेतु मिसल दिनांक 05/12/19 को पेश हो। पुनश्च: तहसीलदार से जवाब पेश हो चुका है। अतः मिसल [illegible] किया गया। वास्ते बहस मिसल 06/12/19 को पेश हो। [signature]
6/12/19	पत्रावली पेश हुई। ~~उप./~~ अभिभाषकगण हड़ताल पर है। अनुपस्थित / पीठासीन अधिकारी दौरे पर / [illegible] में व्यस्त। पत्रावली हुक्म आवश्यकतानुसार आईन्दा दिनांक 9/12/19 को पेश हो। [signature]
9/12/19	वकुलाय [illegible] अन्य मार्ग में व्यस्त मिसल वास्ते बहस दिनांक 13/12/19 को पेश हो। [signature]
13/12/19	पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। बहस वकील प्रार्थी व अप्रार्थी स० की ओर से हाजिर नायब तहसीलदार खण्डेला भी रहुनी। दौरान बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि भूमि ख० नं० 115 ता 135 व 146 किता-22 कुल रकबा 12.94 है० तन ग्राम फतेहपुरा प० हर [illegible] तहसील खण्डेला जिला सीकर राज० में $\frac{1}{16}$ हिस्सा [signature]

Scanned by CamScanner

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	प्रार्थी का है। ग्राम फतेहपुरा की जमाबंदी सम्वत 2067 ता 2070 में प्रार्थी का $\frac{1}{16}$ हिस्सा व नाम सही रूप से दर्ज थे लेकिन वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थी का नाम व हिस्सा दर्ज नहीं है जो राजस्व कर्मचारियों की गलती से हुआ है। अतः भूमि ख0 न0 118 ता 135 व 146 कुल किता 22 रकबा 12.94 है0 ग्राम ~~फतेहपुरा~~ फतेहपुरा प0 ह0 रलावता तहसील खण्डेला के राजस्व रिकार्ड व जमाबंदी में प्रार्थी का नाम व हिस्सा $\frac{1}{16}$ पुनः दर्ज किया जाने का आदेश फरमाया जावे। जवाब में अप्रार्थी सं0 1 की ओर से नायब तहसीलदार खण्डेला ने कथन किया कि उक्त भूमि में सम्पूर्ण खाते में हिस्सा $\frac{1}{1}$ से अधिक था तथा गत भू प्रबन्ध में भगवाना चौखा हि0 $\frac{1}{16}$ दर्ज था। उस समय भी सम्पूर्ण खाते का हिस्सा $\frac{1}{1}$ से अधिक था, जो $\frac{1}{16}$ हिस्सा अधिक दर्ज था। बरवक्त सेग्रीगेशन हरदेव पुत्र भगवाना का हिस्सा $\frac{1}{16}$ हटाया गया गया है। पूर्व की जमाबंदियों में प्रार्थी हरदेव पुत्र भगवाना हिस्सा $\frac{1}{16}$ दर्ज रिकार्ड था। हमने बहस उभय पक्षकारान सुनी। तथा बहस के तथ्यों पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	अवलोकन किया गया। अप्रार्थी सं0 1 ने स्वयं माना है कि पूर्व की जमाबंदीयों में प्रार्थी हरदेव पुत्र भगवाना हिस्सा 1/16 दर्ज था जो बरवक्त सेटलमेन्ट हटाया गया है। जब प्रार्थी का कब्जा है तो नाम व हिस्सा हटाया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अ० धारा 136 LR Act स्वीकार किया जाता है तथा आदेश किया जाता है कि:-
	आदेश
	भूमि ख0 न0 115 से 135 व 146 कुल रकबा 12.94 हे0 तन ग्राम फतेहपुरा प0 ह0 रलावता तहसील खण्डेला जिला सीकर राज0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम हरदेव पुत्र भगवाना हिस्सा 1/16 पुनः दर्ज किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार खण्डेला को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	(रणजीत सिंह) R.A.S उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner